

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1861/2023

1. Dhirendra Singh Rajput S/o Chotusingh Rajput, R/o I-902, Mahima Elite, Sez Farm, Sodala, Sanganer Road, Jaipur.
2. Sanam Kanwar W/o Dhirendra Singh Rajput, R/o I-902, Mahima Elite, Sez Farm, Sodala, Sanganer Road, Jaipur.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Shailendra Modi S/o L.r. Modi, R/o B-29, New Light Colony, Tonk Road, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Dheerendra Singh for Mr. Deepak Chauhan
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP Mr. Krishana Kumar Yadav

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

18/03/2026

याचीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह दाण्डिक विविध याचिका पुलिस थाना—श्यामनगर, जयपुर पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 450/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 506 व 120—बी भारतीय दण्ड संहिता को रद्द/निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में अन्य आधारों पर यह याचिका उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द/निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई थी। लेकिन अब पक्षकारों के मध्य इस मामले में आपस में समझौता हो गया है और परिवादी अब उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही याचीगण के विरुद्ध नहीं चाहता है। उनकी ओर से अपने कथनों के समर्थन में नोटेरी—पब्लिक द्वारा सत्यापित राजीनामा दिनांकित 8.3.2025 भी प्रस्तुत किया है।

प्रकरण का परिवादी शैलेन्द्र मोदी, जिसके द्वारा इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है तथा जिसने स्वयं के विरुद्ध उक्त अपराध कारित होना बताया है, वह आज व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित है, जिसने प्रकट किया कि उसका याचीगण-अभियुक्तगण के साथ समझौता हो गया है तथा राजीनामा के आधार पर सम्पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट व इससे उत्पन्न अन्य मामलों में वह कोई कार्यवाही नहीं चाहता है तथा समझौता के आधार पर यह याचिका स्वीकार की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आज मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार मामले में अनुसंधान से अन्य अभियुक्त संजीव सांघी, के विरुद्ध धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बनना नहीं पाया गया है।

हमने पक्षकारों द्वारा किए गये कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा दोनों पक्षकारों द्वारा अपने-अपने अधिवक्तागण की उपस्थिति में न्यायालय में किए गये इन कथनों के आधार पर कि उनके मध्य इस मामले में सौहार्दपूर्ण समझौता (Amicable Settlement) हो गया है तथा प्रकरण में किए गये अनुसंधान से अन्य अभियुक्त संजीव सांघी, के विरुद्ध धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बनना नहीं पाया गया है, पुलिस थाना-श्यामनगर, जयपुर पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 450/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 506 व 120-बी भारतीय दण्ड संहिता को और आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायिक विनिश्चय में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

1. Gian Singh Vs. State of Punjab & Anr.
Order Passed on Dec.6, 2013 in the matter of Criminal Appeal No. 2052 of 2013

उक्त न्यायिक विनिश्चय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि :-

"12. The High Court, therefore, having regard to the nature of the offence and the fact that parties have amicably settled their dispute and the victim has willingly consented

to the nullification of criminal proceedings, can quash such proceedings in exercise of its inherent powers under Section 482 Cr.P.C., even if the offences are non-compoundable."

परिणामस्वरूप यह दाण्डिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है तथा परिवादी का याचीगण-अभियुक्तगण से इस मामले में समझौता हो जाने तथा अन्य अभियुक्त संजीव सांघी के विरुद्ध अपराध बनना नहीं पाये जाने से उक्त न्यायिक विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में पुलिस थाना-श्यामनगर, जयपुर पर दर्ज सम्पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 450/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 506 व 120-बी भारतीय दण्ड संहिता तथा इसके अनुसरण में उत्पन्न हुई सभी दाण्डिक कार्यवाहियों को अपास्त किया जाता है। तदनुसार संलग्न अन्य कोई प्रार्थना पत्र जो लम्बित हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J